न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 90/2017

1 सतीश कुमार पुत्र श्री मातादीन जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 माया देवी उम्र 62 साल पत्नी विश्वम्भर जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.

2 मनोज उम्र 37 साल पुत्र विश्वम्भर जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

2/1 शांति देवी स्त्री मनोज जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

2/2 खुशी उम्र 12 साल जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। नाबालिग जरिये वली कुदरती माता शांति देवी स्त्री मनोज जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

2/3 अनुष्का उम्र 10 साल जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। नाबालिग जरिये वली कुदरती माता शांति देवी स्त्री मनोज जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

2/4 निशांत उर्फ निशू उम्र 5 साल जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। नाबालिग जरिये वली कुदरती माता शांति देवी स्त्री मनोज जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

3 राजाबाला उम्र वर्ष पुत्री विश्वम्भर जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

4 राधेश्याम पुत्र श्री झाबर जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

5 मुली देवी पत्नी रामावतार

6 अनिल पुत्र रामावतार

7 सुनिल पुत्र रामावतार

8 फुलवती स्त्री श्रीराम

9 सुशील पुत्र श्रीराम

10 अलका पुत्री श्रीराम

11 कालु उर्फ आशा पुत्री श्रीराम

12 कुसुमलता पुत्री श्रीराम

13 रघुवीर पुत्र करणीराम

14 संदीप पुत्र मातादीन

15 उप पंजीयक बुहाना, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

16 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना झुन्झुनू मुकदमा उनवानी विश्वम्भर वगैरह बनाम सतीश कुमार वगैरह मु.नं. 194/2011 बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

उपस्थिति :

1. श्री मुस्ताक अली खां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 4.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 194/2011 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट ने एक वाद घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 189/1, 189/2 वाके ग्राम सुलताना अहीरान का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि से वादीगण एवं उनके पिता का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रति दावा के संदर्भ में कोई विवेचन नहीं किया है। दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किए बिना तनकी संख्या 1 से 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट ने दस्तावेजी एवं मौखक साक्ष्य से प्रतिदावा को साबित किया है। इसका विवेचन किए बिना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (झुन्झुनूं)

विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद कथन व जवाब दावें एवं प्रतिदावें के आधार पर कुल 4 तनकीयात कायम की गई थी। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2012–15, खसरा गिरदावरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि गत खसरान नम्बर 189/1 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 189/2 रकबा 7 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी शिवनारायण, दीना, श्योका पि. मंगला कौम ब्राह्मण सा.देह ब.हि.ब खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खातेदार श्योनारायण की मृत्यु पश्चात उसकी खातेदारी भूमि उनके उत्तराधिकारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई जो दुरूस्ती योग्य है क्योंकि भूमि गत खसरा नम्बर 189/1 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 189/2 रकबा 7 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिश्वा के श्योनारायण, दीना, श्योकरण पि. मंगला ब.हि.ब. मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2012 से 2015 में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त तीनों सहखातेदारान का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा था। हाल जमाबंदी संवत 2061–2064 खाता संख्या 219 खसरा नम्बर 300, 342/1, 455 किता 3 कुल रकबा 2.37 हैक्टेयर भूमि में सतीश कुमार, सन्दीप कुमार पि. मातादीन मु. गिनिया बेवा मातादीन हि. 2/3 रामोतार श्रीराम रघुवीर पि. कनीराम हि. 1/3 कौम ब्राह्म सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्तानुसार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी की खातेदारी भूमि का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व मु. गिनिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जो दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। जमाबंदी संवत 2019 के अवलोकन से भी वादीगण के वाद की पुष्टि होती है। प्रतिवादीगण को इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिये कि वे ऐसा कोई साक्ष्य पेश करें

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

जिससे यह साबित हो कि उनका नाम संवत 2019 की जमाबंदी के पश्चात किस आधार पर आया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज होने का आधार प्रकट नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट के प्रतिदावें के संदर्भ में विचारण न्यायालय में तनकी संख्या 4 कायम की गई थी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रतिवादी अपीलांट प्रतिदावा को साबित करने में सफल नहीं रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वाद कथन व जवाब दावें एवं प्रतिदावें के आधार पर कुल 4 तनकीयात कायम की गई थी। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2012–15, खसरा गिरदावरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि गत खसरान नम्बर 189/1 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 189/2 रकबा 7 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी शिवनारायण, दीना, श्योका पि. मंगला कौम ब्राह्मण सा.देह ब. हि.ब खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खातेदार श्योनारायण की मृत्यु पश्चात उसकी खातेदारी भूमि उनके उत्तराधिकारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई जो दुरूस्ती योग्य है क्योंकि भूमि गत खसरा नम्बर 189/1 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 189/2 रकबा 7 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिश्वा के श्योनारायण, दीना, श्योकरण पि. मंगला ब.हि.ब. मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2012 से 2015 में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त तीनों सहखातेदारान का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा था। हाल जमाबंदी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

संवत 2061—2064 खाता संख्या 219 खसरा नम्बर 300, 342/1, 455 किता 3 कुल रकबा 2.37 हैक्टेयर भूमि में सतीश कुमार, सन्दीप कुमार पि. मातादीन मु. गिनिया बेवा मातादीन हि. 2/3 रामोतार श्रीराम रघुवीर पि. कनीराम हि. 1/3 कौम ब्राह्म सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्तानुसार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी की खातेदारी भूमि का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व मु. गिनिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जो दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। जमाबंदी संवत 2019 के अवलोकन से भी वादीगण के वाद की पुष्टि होती है। प्रतिवादीगण को इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिये कि वे ऐसा कोई साक्ष्य पेश करें जिससे यह साबित हो कि उनका नाम संवत 2019 की जमाबंदी के पश्चात किस आधार पर आया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज होने का आधार प्रकट नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट के प्रतिदावें के संदर्भ में विचारण न्यायालय में तनकी संख्या 4 कायम की गई थी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रतिवादी अपीलांट प्रतिदावा को साबित करने में सफल नहीं रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 4.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)